National Stock Exchange of India Limited

Circular

DEPARTMENT: INSPECTION	
Download Ref No: NSE/INSP/54147	**Date: October 20, 2022**
Circular Ref. No: 78/2022	

To All Members,

Sub: Gazette Notification - Updates in Section 35(1)(a) of UAPA, 1967

SEBI has shared a copy of the Gazette Notification regarding designation of 10 individuals as 'Terrorists' under Section 35(1) of the Unlawful Activities Prevention Act 1967, and their listing in the IVth Schedule of the Act.

The aforesaid Gazette Notification is enclosed as Annexure for ready reference.

In this regard, members are advised to take note and comply.

For and on behalf of
National Stock Exchange of India Limited

Mansi Chheda
Senior Manager - Inspection

In case of any clarifications, Members may contact our below offices:

Regional Office	CONTACT NO.	E MAIL ID
Ahmedabad (ARO)	079-49008632	inspectionahm@nse.co.in
Chennai (CRO)	044- 66309915/17	inspection_cro@nse.co.in
Delhi (DRO)	011-23459127 / 38 / 46	delhi_inspection@nse.co.in
Kolkata (KRO)	033-40400412/ 59	inspection_kolkata@nse.co.in
Mumbai (WRO)	Board Line : 022-25045000 / 022-61928200 Direct Line : 022 2504 5138/022 25045144 Extn: 28144/28138	compliance_wro@nse.co.in
Central Help Desk	compliance_assistance@nse.co.in	

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239325
CG-DL-E-04102022-239325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4462]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4462]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4670(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे सम्बंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और इम्तियाज अहमद कांडू @ सजद @ फयाज़ सोपोर पुत्र अब्दुल खालिक कांडू, निवासी क्रालतांग, सोपोर, जम्मू-कश्मीर, जो इस समय पाकिस्तान में रहता है, आतंकवादी संगठन हिज्बुल-मुजाहिदीन का एक सदस्य है ;

और हिज्बुल-मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त इम्तियाज अहमद कांडू आतंकवादियों के लिए वित्त का प्रबंध करने, आतंकवादियों को आयुधों और गोलाबारूद की पूर्ति करने तथा स्वापक पदार्थों की तस्करी में सम्मलित रहा है ;

और उक्त इम्तियाज अहमद कांडू सुरक्षाबलों और नागरिकों पर आक्रमणों का समन्वयन करता रहा है जिसमें सुरक्षाबलों के अनेक कार्मिक और नागरिक मारे गए;

और उक्त इम्तियाज अहमद कांडू कश्मीर घाटी में आतंकवादी रैंको में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को कट्टर बनाने और उन्हें दुष्प्रेरित करने में सम्मिलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि इम्तियाज अहमद कांडू @ सजद @ फयाज़ सोपोर आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त इम्तियाज अहमद कांडू @ सजद @ फयाज़ सोपोर को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"39. इम्तियाज अहमद कांडू @ सजद @ फयाज़ सोपोर"।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1876(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4670(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Imtiyaz Ahmad Kandoo @ Sajad @ Fayaz Sopore son of Abdul Khaliq Kandoo, resident of Kraltang, Sopore, Jammu and Kashmir, presently based in Pakistan, is one of the members of the terror outfit Hizb-Ul- Mujahideen;

And whereas, Hizb-Ul- Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 8;

And whereas, the said Imtiyaz Ahmad Kandoo has been involved in managing finances for the terrorists, supply of arms and ammunition to terrorists and narcotics smuggling;

And whereas, the said Imtiyaz Ahmad Kandoo has been coordinating attacks on security forces and civilians, in which many security forces personnel and civilians were killed;

And whereas, the said Imtiyaz Ahmad Kandoo has been involved in radicalizing and motivating youths to join terrorist ranks to carry out terror activities in the Kashmir Valley;

And whereas, the Central Government believes that Imtiyaz Ahmad Kandoo @ Sajad @ Fayaz Sopore is involved in terrorism and the said Imtiyaz Ahmad Kandoo @ Sajad @ Fayaz Sopore is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 38 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"39. Imtiyaz Ahmad Kandoo @ Sajad @ Fayaz Sopore".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 1876(E), dated the 19th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239327
CG-DL-E-04102022-239327

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4463] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4463] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4671(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे सम्बंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और शौकत अहमद शेख @ शौकत मोची, पुत्र गुलाम नबी शेख जिसका जन्म वर्ष 1970 में गनी हमाम, बारामुला, जम्मू-कश्मीर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में रहता है, आतंकवादी संगठन हिज्बुल-मुजाहिदीन के मुख्य प्रक्षेपण कमांडर के रूप में कार्य कर रहा है ;

और हिज्बुल-मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और शौकत अहमद शेख की जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा फैलाने में मुख्य भूमिका है ;

और उक्त शौकत अहमद शेख उत्तरी कश्मीर में अपने सहयोगियों के गहन नेटवर्क के कारण घुसपैठ का समन्वय करने में और आतंकवादियों की भर्ती करने तथा आतंकवादी हमलों में सम्मलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि शौकत अहमद शेख@ शौकत मोची आतंकवाद में अंतर्वलित रहा है और उक्त शौकत अहमद शेख @ शौकत मोची को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"40. शौकत अहमद शेख @ शौकत मोची" ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4670(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4671(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Showkat Ahmad Sheikh @ Showkat Mochi,son of Ghulam Nabi Sheikh,born in the year 1970 in Ganie Hamam, Baramulla, Jammu and Kashmir, presently based in Pakistan, is operating as Chief Launching Commander of the terror outfit Hizb-Ul- Mujahideen;

And whereas, Hizb-Ul- Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 8;

And whereas, the said Showkat Ahmad Sheikh is instrumental in spreading terror violence in Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Showkat Ahmad Sheikh is involved in coordinating infiltration and recuirment of terrorists and execution of terror attacks owing to his deep network of associates in North Kashmir;

And whereas, the Central Government believes that Showkat Ahmad Sheikh @ Showkat Mochi is involved in terrorism and the said Showkat Ahmad Sheikh @ Showkat Mochi is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 39 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"40. Showkat Ahmad Sheikh @ Showkat Mochi ".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4670(E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239330
CG-DL-E-04102022-239330

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4464] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4464] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4672(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे सम्बंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और बसीत अहमद रेशी, पुत्र मोहम्मद रमजान रेशी जिसकी जन्म की तारीख 4 मार्च, 1996 है, यंबरजलवाड़ी शिवा डंगेरपोरा, जिला बारामूला, जम्मू-कश्मीर का निवासी है, जो इस समय पाकिस्तान में रहता है, आतंकवादी संगठन हिज्बुल-मुजाहिदीन का एक सदस्य है;

और हिज्बुल-मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त बसीत अहमद रेशी विध्वंसक क्रियाकलापों में अंतर्वलित रहा है और जम्मू-कश्मीर में लक्षित हत्याओं का समन्वय कर रहा है ;

और उक्त बासित अहमद रेशी ने 18 अगस्त, 2015 को सोपोर में तज्जौर शरीफ पेट अस्तान में बाबा अली रैना मजार की पुलिस चौकी पर एक आतंकवादी हमले की योजना बनाई और उसे निष्पादित किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक मारा गया था ;

और उक्त बसीत अहमद रेशी अपने पैतृक क्षेत्र में अपने सहयोगियों के अच्छे नेटवर्क के कारण आतंकवादी हमलों के लिए भर्ती और उनके निष्पादन के लिए समन्वय कर रहा है ;

और उक्त बसीत अहमद रेशी सीमा पार से हथियारों और गोला बारूद का प्रबंध करने तथा आतंकवाद के वित्त पोषण करने और आतंकवादी रैंकों में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को प्रेरित करने में अंतर्वलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि बसीत अहमद रेशी आतंकवाद में अंतर्वलित है और उक्त बसीत अहमद रेशी को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"41. बसीत अहमद रेशी"।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4671(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4672(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Basit Ahmad Reshi, son of Mohammad Ramzan Reshi, having date of birth on the 4th March, 1996, resident of Yemberzalwari Shiva Dangerpora, District Baramulla, Jammu and Kashmir, presently based in Pakistan, is one of the members of the terror outfit Hizb-Ul- Mujahideen;

And whereas, Hizb-Ul-Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 8;

And whereas, the said Basit Ahmad Reshi is involved in subversive activities and coordinating target killings in Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Basit Ahmad Reshi planned and executed a terror attack on police guard post of shrine Baba Ali Raina at Tajjaur Sharief Peth Astan in Sopore on the 18th August, 2015 in which one police personnel and a civilian were killed;

And whereas, the said Basit Ahmad Reshi owing to his good network of associates in his native area coordinates for recruitment and execution of terror attacks;

And whereas, the said Basit Ahmad Reshi has been involved in managing arms and ammunition and terror financing form across the border and motivating youths to join terrorist ranks;

And whereas, the Central Government believes that Basit Ahmad Reshi is involved in terrorism and the said Basit Ahmad Reshi is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 40 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"41. Basit Ahmad Reshi".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4671(E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239331
CG-DL-E-04102022-239331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4465] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4465] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4673(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे सम्बंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और हबीबुल्लाह मलिक@ साजिद जट्ट @ सैफुल्लाह @ नूमी @ नुमान @ लंगड़ा @ अली साजिद @ उस्मान हबीब @ शनि, जिसकी जन्म की तारीख 3 सितम्बर, 1982 है, पुत्र मोहम्मद रफीक, निवासी ग्राम शंगामंगा, जिला कसूर, पाकिस्तान लश्कर-ए-तोइबा (एलईटी) / दि रेज़िस्टेन्स फ्रंट (टीआरएफ) से संबंधित है ;

और लश्कर-ए-तोइबा (एलईटी) को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 5 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और हबीबुल्लाह मलिक कश्मीरी युवाओं को कट्टर बनाने और उन्हें अपने नेटवर्क के माध्यम से उग्रवाद में भर्ती करने में सम्मिलित रहा है ;

और उक्त हबीबुल्लाह मलिक, उन आतंकवादियों का एक मुख्य हैंडलर है, जिन्होंने भाटा धूरियां, जिला पुंछ में भारतीय सैनिकों पर आक्रमण किया था ;

और उक्त हबीबुल्लाह मलिक जम्मू-कश्मीर आधारित आतंकवादियों के लिए जम्मू क्षेत्र में हथियारों और संचार प्रणालियों को ड्रोन के माध्यम से गिराने में सम्मलित रहा है ;

और उक्त हबीबुल्लाह मलिक ने दुर्दांत आतंकवादियों का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया है तथा जून, 2013 में हैदरपोरा, श्रीनगर में सेना के विरुद्ध आत्मघाती हमले और चडूरा, बडगाम में दिसम्बर, 2013 में स्टेशन हाउस अधिकारी को मारने सहित कश्मीर घाटी में बहुत से आतंकवादी हमलों में मास्टर माइंड रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि हबीबुल्लाह मलिक @ साजिद जट्ट @ सैफुल्लाह @ नूमी @ नुमान @ लंगड़ा @ अली साजिद @ उस्मान हबीब @ शनि आतंकवाद में अन्तर्वलित है और उक्त हबीबुल्लाह मलिक @ साजिद जट्ट @ सैफुल्लाह @ नूमी @ नुमान @ लंगड़ा @ अली साजिद @ उस्मान हबीब @ शनि को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"42. हबीबुल्लाह मलिक @ साजिद जट्ट @ सैफुल्लाह @ नूमी @ नुमान @ लंगड़ा @ अली साजिद @ उस्मान हबीब @ शनि" ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4672(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4673(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Habibullah Malik @ Sajid Jutt @ Saifullah @ Noomi @ Numan @ Langda @ Ali Sajid @ Usman Habib @Shani having date of birth on the 3rd September, 1982, son of Muhammad Rafique, resident of Village- Shangamanga, District Kasur, Pakistan is associated with Lashkar-e-Taiba(LeT)/ The Resistance Front(TRF);

And whereas, Lashkar-e-Taiba (LeT) is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 5;

And whereas, the said Habibullah Malik has been involved in radicalizing Kashmiri youths and recruiting them into militancy through his network;

And whereas, the said Habibullah Malik is the key handler of terrorists who carried out attack on Indian Soldiers in Bhata Dhurian, District Poonch;

And whereas, the said Habibullah Malik has been involved in drone dropping of arms and communication systems in Jammu region for Jammu and Kashmir based terrorists;

And whereas, the said Habibullah Malik has created a wide network of hardcore militants and has been master minding multiple terrorist attacks in the Kashmir valley including fidayeen attack against army at Hyderpora, Srinagar in June, 2013 and killing of Station House Officer Chadoora, Budgamm in December, 2013;

And whereas, the Central Government believes that Habibullah Malik @ SajidJutt @ Saifullah @ Noomi @ Numan @ Langda @ Ali Sajid @ Usman Habib @Shani is involved in terrorism and the said Habibullah Malik @ SajidJutt @ Saifullah @ Noomi @ Numan @ Langda @ Ali Sajid @ Usman Habib @Shani is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 41 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"42. Habibullah Malik @Sajid Jutt @Saifullah @ Noomi @ Numan @ Langda @ Ali Sajid @ Usman Habib @Shani".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4672 (E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239332
CG-DL-E-04102022-239332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4466] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4466] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4674(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे सम्बंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और बशीर अहमद पीर @ इम्तियाज आलम @ हाजी पुत्र मृत मोहम्मद सिकंदर पीर, जो मूल रूप से बाबरपोरा, करालपोरा, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है, इस समय रावलपिंडी, पाकिस्तान में रह रहा है, जिसके पास पाकिस्तान का कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र संख्या 82203-7942470-9 है, हिज्बुल-मुजाहिदीन का लॉचिंग कमांडर है ;

और हिज्बुल-मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है;

और उक्त बशीर अहमद पीर, हिज्बुल-मुजाहिदीन के आतंकवादियों को लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराने, विशेषकर कुपवाड़ा, जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए अन्य आतंकवादी समूहों के साथ समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है ;

और उक्त बशीर अहमद पीर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए निधियों को भेजने में सम्मलित रहा है ;

और उक्त बशीर अहमद पीर हिज्बुल-मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तोइबा और अन्य आतंकवादी संगठनों के कार्यकलापों को अग्रसर करने के लिए पूर्व उग्रवादियों और अन्य संवर्गों को एकजुट करने हेतु अनेक आनलाईन प्रोपेगंडा समूहों में सम्मिलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि बशीर अहमद पीर @ इम्तियाज आलम @ हाजी आतंकवाद में अन्तर्वलित है और उक्त बशीर अहमद पीर @ इम्तियाज आलम @ हाजी को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"43. बशीर अहमद पीर @ इम्तियाज आलम @ हाजी" ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4673(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4674(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Bashir Ahmad Peer @ lmtiyaz Alam @ Haji, son of Late Mohd Sikander Peer belogning orignially to Babarpora, Kralpora, Kupwara, Jammu and Kashmir presently residing at Rawalpindi, Pakistan, having Pakistan's Computerised National Identity Card No. 82203-7942470-9, is launching commander of Hizb-Ul-Muhahideen;

And whereas, Hizb-Ul- Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 8;

And whereas, the said Bashir Ahmad Peer, is responsible for providing logistics to Hizb-Ul-Mujahideen terrorists, espically for infiltration into Kupwara, Jammu and Kashmir and coordinates with other terrorist groups for terror activities in the Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Bashir Ahmad Peer has been involved in routing funds for terrorism activities in Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Bashir Ahmad Peer has been involved in a number of online propagenda groups to unite ex-militants and other cadres for furtherance of activities of terrorist organisations Hizb-Ul-Mujahideen, Lashkar-e-Taiba and others;

And whereas, the Central Government believes that Bashir Ahmad Peer @ lmtiyaz Alam @ Haji is involved in terrorism and the said Imtiyaz Bashir Ahmad Peer @ lmtiyaz Alam @ Haji is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 42 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"43. Bashir Ahmad Peer @ lmtiyaz Alam @ Haji".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4673 (E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239333
CG-DL-E-04102022-239333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4467] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4467] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4675(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे उपाबद्ध विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और इरशाद अहमद @ इद्रीस पुत्र गुलाम मोहम्मद इट्टू, जो मूल रूप से गवारी कुलहंड, उध्यानपोरा, तहसील बगला बार्थ, जिला डोडा, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है, इस समय इस्लामाबाद, पाकिस्तान में रह रहा है, हिज्बुल-मुजाहिदीन का लांचिंग कमांडर है ;

और हिज्बुल-मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 8 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त इरशाद अहमद, हिज्बुल-मुजाहिदीन का शूरा का भी सदस्य है तथा वह आतंकवादी संगठन के प्रशिक्षण कार्यों का समन्वय करने और उसके लॉचिंग क्रियाकलापों में सम्मिलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि इरशाद अहमद @ इद्रीस आतंकवाद में सम्मिलित रहा है तथा उक्त इरशाद अहमद @ इद्रीस को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"44. इरशाद अहमद @ इद्रीस" ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4674(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4675(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Irshad Ahmad @ Idrees, son of Ghulam Mohammad Itoo, belogning orignially to Gawari Kulhanda, Udhyanpora, Tehsil Bagia Barth, District Doda, Jammu and Kashmir, presently residing at Islamabad Pakistan, is launching commander of Hizb-Ul-Muhahideen;

And whereas, Hizb-Ul- Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No. 8;

And whereas, the said Irshad Ahmad is also a shoora member of Hizb-Ul-Muhahideen and is invovled in coordinating training and launching activities of terrorist organization;

And whereas, the Central Government believes that Irshad Ahmad @ Idrees is involved in terrorism and the said Irshad Ahmad @ Idrees is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 43 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"44. Irshad Ahmad @ Idrees".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O.4674(E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239334
CG-DL-E-04102022-239334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4468] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4468] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4676(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे उपाबद्ध विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और रफीक नाई @ सुल्तान पुत्र मोहम्मद अफसर, जो मूल रूप से नाका मझारी, तहसील मेंढर, जिला पुंछ, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है, इस समय पाकिस्तान में रह रहा है, तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन/जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स का लांचिंग कमांडर है ;

और तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 41 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त रफीक नाई @ सुल्तान स्वापक पदार्थों और हथियारों की तस्करी तथा पुंछ-राजौरी क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ के पर्यवेक्षण के कार्य में सम्मिलित है ;

और उक्त रफ़ीक़ नाई @ सुल्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकी कृत्यों को पुनर्जीवित करने हेतु भारतीय क्षेत्र में प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ मे शामिल है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि रफीक नाई @ सुल्तान आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त रफीक नाई @ सुल्तान को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"45. रफीक नाई @ सुल्तान" ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4675(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4676(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Rafiq Nai @Sultan, son of Mohd Afsar, belogning orignially to Naka Majhari, Tehsil Mendhar, District Poonch, Jammu and Kashmir, presently residing in Pakistan, is a launching commander of Tahreek-ul-Mujahideen/Jammu Kashmir Ghaznavi Force;

And whereas, Tahreek-ul-Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said at Act at serial No. 41;

And whereas, the said Rafiq Nai @Sultan, is involved in supervision of narcotics and weapons smuggling and infiltration of terrorists in Poonch-Rajouri Sector;

And whereas, the said Rafiq Nai @Sultan, is involved in infiltration of trained Pakistani terrorists into Indian territory to revive terrorist activities in Jammu and Kashmir;

And whereas, the Central Government believes that Rafiq Nai @Sultan is involved in terrorism and the said Rafiq Nai @Sultan is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 44 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"45. Rafiq Nai @Sultan".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4675(E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239336
CG-DL-E-04102022-239336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4469] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4469] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4677(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे उपाबद्ध विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और जफर इकबाल @ सलीम @ जमालदीन @ शमशेर नाई @ शमशेर खान पुत्र अलफदीन, जो गांव गुंथल, तहसील सूरनकोट, जिला पुंछ, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है, इस समय पाकिस्तान में रह रहा है,जिसके पास पाकिस्तान का कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र संख्या 81202-2422158-7 है, जो हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी/जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स का आपरेशनल कमांडर है ;

और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 7 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त जफर इकबाल स्वापक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के पर्यवेक्षण में शामिल है ;

और उक्त जफर इकबाल जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ में शामिल है ;

और उक्त जफर इकबाल आतंक के वित्त पोषण क्रियाकलापों तथा कूटकृत मोबाइल फोन आधारित संदेश अनुप्रयोगों के दुरुपयोग द्वारा आतंकवादियों की आनलाइन भर्ती में सम्मिलित है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि जफर इकबाल @ सलीम @ जमालदीन @ शमशेर नाई @ शमशेर खान आतंकवाद में सम्मलित है और उक्त जफर इकबाल @ सलीम @ जमालदीन @ शमशेर नाई @ शमशेर खान को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"46. जफर इकबाल @ सलीम @ जमालदीन @ शमशेर नाई @ शमशेर खान" ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4676(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4677(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Zafar Iqbal @ Salim @Jamaldeen @Shamsher Nai @Shamsher Khan, son of Alafdin, belonging orignially to Village Gunthal, Tehsil Surankote, District Poonch, Jammu and Kashmir, presently residing in Pakistan, having Pakistan's Computerised National Identity Card No. 81202-2422158-7, is operational commander of Harkat-ul-Jihad-e-Islami/ Jammu Kashmir Ghaznavi Force;

And whereas, Harkat-ul-Jihad-e-Islami is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No.7;

And whereas, the said Zafar Iqbal, is involved in supervising narcotics and weapon smuggling;

And whereas, the said Zafar Iqbal is involved in infiltration of terrorists in Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Zafar Iqbal is involved in terror funding activities and online recuirtment of terrorist by misusing encrypted mobile phone based messaging applications;

And whereas, the Central Government believes that Zafar Iqbal @ Salim @Jamaldeen @Shamsher Nai @Shamsher Khan is involved in terrorism and the said Zafar Iqbal @ Salim @Jamaldeen @Shamsher Nai @Shamsher Khan is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 45 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"46. Zafar Iqbal @ Salim @Jamaldeen @Shamsher Nai @Shamsher Khan".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4676 (E)., dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239337
CG-DL-E-04102022-239337

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4470] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4470] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4678(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे उपाबद्ध विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और बिलाल अहमद बेग @ बाबर पुत्र मोहम्मद युसूफ बेग, जो मूलतः बेग मोहल्ला, आलूचीबाग, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है, इस समय लोअर बाजार, रावलपिंडी, पाकिस्तान में रह रहा है, जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट (जेकेआइएफ) का प्रमुख है ;

और जम्मू-कश्मीर इस्लामिक फ्रंट (जेकेआइएफ) को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 10 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त बिलाल अहमद बेग जम्मू-कश्मीर में हथियारों और आयुध की तस्करी में सम्मिलित है ;

और उक्त बिलाल अहमद बेग का कुख्यात संगठित अपराधी वर्ग से नजदीकी संबंध है तथा वह विदेश से कश्मीर में निधियों के अंतरण के लिए इन चैनलों का प्रयोग करता है ;

और उक्त बिलाल अहमद बेग जम्मू-कश्मीर में उग्रवादी क्रियाकलापों के वित्त पोषण और आतंकवादी संगठनों के लिए कश्मीरी युवकों की भर्ती में सम्मिलित है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि बिलाल अहमद बेग @ बाबर आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त बिलाल अहमद बेग @ बाबर को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्या 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"47. बिलाल अहमद बेग @ बाबर"।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या का.आ. 4677(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4678(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Bilal Ahmad Beigh @Babar, son of Mohammad Yusuf Beigh, belonging orignially to Beigh Mohalla, Aloochibagh, Srinagar, Jammu and Kashmir, presently residing at Lower Bazar, Rawalpindi, Pakistan, is Chief of Jammu and Kashmir Islamic Front (JKIF);

And whereas, Jammu and Kashmir Islamic Front (JKIF) is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No.10;

And whereas, the said Bilal Ahmad Beigh is involved in smuggling of arms and ammunition into Jammu and Kashmir;

And whereas, the said Bilal Ahmad Beigh has close contacts with notorious underworld entities and he uses the channels to transfer funds from abroad to Kashmir;

And whereas, the said Bilal Ahmad Beigh is involved in financing of militancy activities in Jammu and Kashmir and recruitment of kashmiri youths for terrorist outfits;

And whereas, the Central Government believes that Bilal Ahmad Beigh @Babar is involved in terrorism and the said Bilal Ahmad Beigh @Babar is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 46 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"47. Bilal Ahmad Beigh @Babar".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4677(E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239338
CG-DL-E-04102022-239338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4471] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4471] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4679(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे उपाबद्ध विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और शेख जमील-उर-रहमान @ शेख साहब @ रहमान @ अबू नुसरत @ फयाज़ अहमद डार पुत्र गुलाम कादिर डार, जो मूलतः गांव लजूरा, जिला पुलवामा, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है, जो इस समय पाकिस्तान में रह रहा है, जिसके पास पाकिस्तान का कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र संख्या 61101-9814381-9 है, तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन (टीयूएम) का प्रमुख/अमीर है ;

और तहरीक-उल-मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 41 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और शेख जमील-उर-रहमान लश्कर-ए-तोइबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), हिज्बुल-मुजाहिद्दीन (एचएम) के क्रियाकलापों के समन्वयन तथा शीर्षस्थ स्तर पर अन्य समामेलनों में सम्मिलित है ;

और उक्त शेख जमील-उर-रहमान पाकिस्तान में बने हुए विस्फोटकों की तस्करी करने तथा पाकिस्तान से भारत में आतंकवादियों के संचलन में सम्मिलित है ;

और उक्त शेख जमील-उर-रहमान मेंढर, पुंछ, जम्मू-कश्मीर में धार्मिक स्थलों पर ग्रेनेड हमले के षडयंत्र में सम्मिलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि शेख जमील-उर-रहमान @ शेख साहब @ रहमान @ अबू नुसरत @ फयाज़ अहमद डार आतंकवाद में सम्मलित है और उक्त शेख जमील-उर-रहमान @ शेख साहब @ रहमान @ अबू नुसरत @ फयाज़ अहमद डार को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"48. शेख जमील-उर-रहमान @ शेख साहब @ रहमान @ अबू नुसरत @ फयाज़ अहमद डार"।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4678(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4679(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Sheikh JameeI-ur-Rehman @Sheikh Sahab @Rehman @Abu Nusrat @Fayaz Ahmed Dar,son of Ghulam Qadir Dar,belonging originally to Village Lajoora, District Pulwama, Jammu and Kashmir,presently residing in Pakistan, having Pakistan's Computerised National Identity Card No. 61101-9814381-9, is chief/Amir of Tehreek-ul-Mujahideen (TuM);

And whereas, Tehreek-ul-Mujahideen (TuM) is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No.41;

And whereas, the said Sheikh JameeI-ur-Rehman is involved in coordinating the activities of Lashkar-e-Taiba (LeT), Jaish-e-Mohammed (JeM), Hizb-ul-Mujahideen (HM) and other amalgamates at the top level;

And whereas, the said Sheikh JameeI-ur-Rehman is involved in smuggling of Pakistan made explosives and movement of terrorist cadres from Pakistan to India;

And whereas, the said Sheikh JameeI-ur-Rehman has been involved in conspiracy of grenade attacks on religious places in Mendhar, Poonch, Jammu and Kashmir;

And whereas, the Central Government believes that Sheikh Jameel-ur-Rehman @Sheikh Sahab @Rehman @Abu Nusrat @Fayaz Ahmed Dar is involved in terrorism and the said Sheikh Jameel-ur-Rehman @Sheikh Sahab @Rehman @Abu Nusrat @Fayaz Ahmed Dar is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 47 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"48. Sheikh Jameel-ur-Rehman @Sheikh Sahab @Rehman @Abu Nusrat @Fayaz Ahmed Dar".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4678(E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA